भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 04
02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों और स्मार्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना

***04. श्री गणेश सिंह:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा गरीब और निम्न आय वर्ग के समूहों सहित लोगों की सुविधा के लिए देशभर के सभी जिलों में स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों और स्मार्ट नैदानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है/कार्यान्वित किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में उक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त केन्द्रों और प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

02 फरवरी, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *4 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): फरवरी, 2018 में भारत सरकार ने देशभर में दिसंबर, 2022 तक 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबीएचडब्ल्यूसी) [जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के नाम से जाना जाता है।] कुल 1,64,043 आयुष्मान अरोग्य मंदिरों को 15.01.2024 तक स्थापित करके प्रचालनरत कर दिया गया है।

एएएम को नवीनतम आईटी अवसंरचना और डिजीटल ईकोसिस्टम से सुसज्जित किया गया है ताकि ये बाह्य क्षेत्रों में कार्य कर सके। शुरू की गई विभिन्न आईटी पहलें निम्नानुसार हैं:

i. स्वास्थ्य सूचना के डिजिटाइजेशन के क्रम में सॉफ्टवेयर सहायता के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ), एएनएम को लैपटॉप और टेबलेट तथा आशाकर्मियों को स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं।

ii. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी के रूप में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) सृजित करने का एक डिजीटल ईकोसिस्टम प्रदान किया गया है, जिसमें रोगी का इलैक्ट्रानिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाता है जिसके फलस्वरूप रोगी अस्पतालों में रेफरल लेकर उच्चतर स्वास्थ्य केंद्रों में तथा डिस्चार्ज के बाद वापस रेफरल के लिए निर्बाध रूप से आ सकता है।

iii. प्रचालनरत आयुष्मान अरोग्य मंदिर में टेलीपरामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिनसे लोग अपने घरों के निकट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इन सेवाओं से अस्पताल पहुंचने की चिंता से निजात, स्वास्थ्य परिचर्या की लागत में बचत, सेवा प्रदाताओं की कमी और स्वास्थ्य परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित करने जैसे सरोकारों के समाधान में मदद मिली है।

iv. स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के राज्य/जिलावार कार्यनिष्पादन की तत्समय समीक्षा और निगरानी के लिए जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर 'आयुष्मान अरोग्य मंदिर पोर्टल' नामक एक विशिष्ट केंद्रीकृत वेब पोर्टल प्रयोग में लाया जाता है।

v. कार्यक्रम विशिष्ट अन्य पोर्टल माता और शिशु स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आरसीएच (प्रजनन और बाल स्वास्थ्य) पोर्टल/अनमोल (एएनएम ऑनलाइन) ऐप, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और तीन सामान्य कैंसरों से ग्रस्त व्यक्तियों की जांच और प्रबंधन के लिए एनसीडी (गैर-संचारी रोग) ऐपलिकेशन,

एनटीईपी (राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम) के अंतर्गत निक्षय पोर्टल, औषधि और उपभोज्य पदार्थों के प्रबंधन के लिए डीवीडीएमएस (औषधि और वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल और डाटा रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग के लिए एचएमआईएस (स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्रयोग में लाए जाते हैं।

यह मंत्रालय एनएचएम के तहत 'नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल' (एफडीएसआई) कार्यक्रम को सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है समुदाय के निकट सुलभ और सस्ती पैथोलॉजीकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाएं प्रदान करना जिनके परिणामस्वरूप रोगी का जेब खर्च (ओओपीई) कम होता है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी स्तरों पर नैदानिक सेवाएं (उप-केंद्रों में 14 टेस्ट, प्राथमिक स्वास्य केंद्रों में 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 97, उप-जिला अस्पतालों में 111 टेस्ट और जिला अस्पतालों में 134 टेस्ट) नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरंचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका योजना अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए 64,180 करोड़ रु. का परिव्यय है। इस योजना में स्वास्थ्य अनुसंधान के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी और जनस्वास्थ्य कार्य को एकीकृत और सुदृढ़ करने के लिए नए सुधार करने की परिकल्पना की गई है ताकि समुदाय इस तरह की महामारियों या स्वास्थ्य संकटों का प्रबंधन करने में आत्मनिर्भर हो सकें।

पीएम-एबीएचआईएम के तहत सरकार सभी 730 जिलों में "एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल)" की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है ताकि कार्यक्रम के संवर्धन में सहायक प्रयोगशाला सेवाओं की दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाई जा सके।

एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (आईपीएचएल) अद्यतन भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार सभी अपेक्षित क्लीनिकल और जन स्वास्थ्य नैदानिक जांचें एक ही स्थान पर करेंगी। आईपीएचएल संक्रामक रोगों की सामान्य निगरानी और इनके प्रकोप की जांच में मदद करेंगी।

जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला ईकाई ब्लॉक, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं के साथ अन्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने वाले एक शीर्ष

नेटवर्क के रूप में भी कार्य करेगी ताकि क्लीनिकल प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए अनेक क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाया जा सके।

पीएम-एबीएचआईएम के तहत सरकार उच्च फोकस वाले 8 राज्यों और 3 पवर्तीय राज्यों में 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाईयों (बीपीएचयू) की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। बीपीएचयू के अंतर्गत एक ब्लॉक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला और एक ब्लॉक एचएमआईएस प्रकोष्ठ शामिल होगा।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रु. मूल्य की अनुदानों की सिफारिश की है और केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकृति दे दी गई है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए दी गई ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित हैं और इनसे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी।

पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वास्थ्य अनुदानों का उपयोग उप-स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी जन स्वास्थ्य केंद्र में नैदानिक अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए भी किया जाता है ताकि यहां आईपीएचएस और सीपीएचएस मानदंडों को हासिल किया जा सके और वांछित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जा सके।

पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत 28 राज्यों के सभी ब्लॉकों में बीपीएचयू स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इन बीपीएचयू में रोग प्रकोपों का पता लगाने और इन पर निगरानी, क्लीनिकल कार्यों के लिए उन्नत नैदानिक सेवाएं प्रदान करना जैसे जन स्वास्थ्य कार्यों और स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से डाटा संकलन, विश्लेषण और फीडबैक जैसे कार्य निष्पादित किए जाते हैं।

सतना जिले के लिए, पीएम-एबीएचआईएम के तहत 448.84 लाख रु. की लागत से 4 बीपीएचयू और 1 आईपीएचएल की स्थापना तथा पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत 161.92 लाख रु. की लागत से 2 बीपीएचयू की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया गया है।

*****